न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1056–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–2–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर अपील प्रकरण कमांक 612/2012–13.

1– गोकुलसिंह पिता लक्ष्मणसिंह गौड़
निवासी ग्राम बालौदा टाकुन
तहसील सांवेर जिला इन्दौर
2– संतोष पिता रामचन्द्र चौधरी
निवासी ग्राम पालाखेड़ी
तहसील व जिला इन्दौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

मदन भारती पिता शंकर भारती मृतक तर्फे वारिसान–
1– श्रीमती धापुबाई पति स्व. मदन भारती
2– जितेंद्र पिता स्व. मदन भारती
3– सतीश पिता स्व. मदन भारती
4– अर्जुन पिता स्व. मदन भारती
5– श्रीमती राखी पति महेंद्र गिरी
पुत्री स्व. मदन भारती
निवासीगण 126, पटेल नगर
बिजासन टेकरी के सामने, इन्दौर
6– शिवनारायण पिता जगन्नाथ कलौता
निवासी ग्राम बड़ा बागड़दा
तहसील व जिला इन्दौर .....अनावेदकगण

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री टी0सी0 यादव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/3/14 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–2–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार, धार के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बगदुन तहसील व जिला धार स्थित भूमि सर्वे कमांक 11/1/2 रकबा 1.291 हेक्टेयर उनके द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से अनावेदक पक्ष से कय की गई है, अतः उक्त भूमि पर उनका नामांतरण किया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 18–11–2011 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का नामांतरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, धार के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 6–8–2013 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 4–2–2014 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त किये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार द्वारा विधिवत अनावेदकगण की आपत्तियों का निराकरण करते हुए पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर आवेदकगण का नामांतरण स्वीकार किया गया था, और व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 19–5–2012 को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये थे । व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

(2) अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण के पक्ष में पारित नामांतरण आदेश को निरस्त करने में अधिकारिता रहित कार्यवाही की गई है, क्योंकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि राजस्व न्यायालय द्वारा पंजीकृत विकय पत्र की जांच नहीं की जा सकती है, और विकय पत्र के आधार पर कार्यवाही की जानी होती है ।

(3) तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा भूल की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 2005 आर0एन0 45 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से तर्क निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार के समक्ष विक्रेता मदन भारती द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, इसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा उन्हें व्यक्तिशः सूचना नहीं दी गई है । इस प्रकार तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण नियमों के नियम 27 का पालन नहीं किया गया है ।

(2) मदन भारती द्वारा अनावेदक कमांक 6 शिवनारायण के पक्ष में निष्पादित मुख्तयारनामा दिनांक 20–6–2011 को निरस्त कर दिया गया था, अतः अनावेदक कमांक 6 शिवनारायण के शपथ पत्र के आधार पर नामांतरण आदेश पारित करने में तहसीलदार द्वारा त्रुटि की गई है ।

(3) तहसीलदार द्वारा नामांतरण नियमों का पालन नहीं किया गया है, न ही ग्राम में डोडी पिटवाई गई है, न ही विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया गया है, और न ही मदन भारती को व्यक्तिशः सूचना दी गई है ।

(4) अनावेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के प्रति अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसे यथास्थिति का आदेश मानने में त्रुटि की गई है, क्योंकि व्यवहार न्यायालय का आदेश निषेधाज्ञा का आदेश है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) विक्रेता मदन भारती द्वारा तहसीलदार के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था कि उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई कय–विकय नहीं किया गया है, और भूमि के एवज में मदन भारती को उधार में राशि दी गई थी । इस आधार पर कहा गया कि आवेदकगण द्वारा कूटरचित ढंग से भूमि कय की जाना बताया जाकर नामांतरण करा लिया गया था, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(6) समवर्ती निष्कर्ष यदि विधि विपरीत हों तो उन्हें निरस्त किया जा सकता है ।

तर्कों के समर्थन में 2012 आर.एन. 316, 2008 आर.एन. 94 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में आदेश पारित किया गया है, जबकि व्यवहार न्यायालय द्वारा स्वत्व के संबंध में कोई आदेश

पारित नहीं कर केवल प्रश्नाधीन भूमि के कब्जा एवं नामांतरण के संबंध में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त को उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण करना चाहिए था, अतः उपरोक्त कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–2–2014 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुण–दोष पर निराकरण हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर